147

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग 3068-216

निगरानी प्र0क्र0 / जिला-शिवनी

हरि प्रसाद पिता गोपाली प्रसाद जाति परधान भूतपूर्व सैनिक (आदिवासी) निवासी ग्राम गोपागंज तहसील व जिला शिवनी ----- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, शिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवनी के प्रकरण क्रमांक 58/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, शिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक ग्राम गोपालगंज प.ह.नं. 132 रा0नि0मं0 शिवनी भाग एक स्थित भूमि खसरा नंबर 378/28 रकबा 0.32 आरे के भूमिस्वामी हैं । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास 2.64 हैक्टर भूमि और शेष बचती है । इसके अतिरिक्त आवेदक को 8000/- मासिक पेंशन भी प्राप्त होती है । भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्टेड है । आवेदक को अपने पुत्र के व्यवसाय हेतु रूपयों की आवश्यकता है । अत: उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3068-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 165 के तहत आवेदन पेश कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गोपालगंज प.ह.नं. 132 रा0नि0मं0 सिवनी भाग एक तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 378/28 रकबा 0.32 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के पास 10 एकड़ से कम भूमि रह जाती है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है शासन द्वारा पट्टे	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक के हस्ताक्षर
	पर नहीं दी गई है । आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 6.50 एकड़ सिंचित भूमि बचती है तथा आवेदक भूतपूर्व सैनिक है और उसे 22000/- मासिक पेंशन प्रतिमाह मिली है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आदिवासी/आवेदक के हितों के अनुरूप बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर पैत्रिक है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 6.50 एकड़ सिंचित भूमि शेष बच रही है तथा वह भूतपूर्व सैनिक होने के नाते 22000/- प्रतिमाह पेंशन भी मिल रही है । उक्त स्थिति को देखते हुए आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय	

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3068–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनके अनुसार आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि स्थित ग्राम गोपालगंज प.ह.नं. 132 रा0नि0मं0 सिवनी भाग एक स्थित भूमि खसरा नंबर 378/28 रकबा 0.32 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	

-5-

निग० 3068-3/16 निग०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।	
	पक्षकार सूचित हों ।	
	(एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	